प्रेस नोट
दिनांक-17.07.2026
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार पीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 08 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 1054/2017 धारा 304/34 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के अभियुक्त गण 1-महेश प्रसाद पुत्र सीताराम 2- मालती पत्नी महेश प्रसाद निवासीगण मनी मनोहर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एडीजे प्रथम रायबरेली द्वारा अभियुक्तों को दिनांक 15.07.2026 को धारा 304/34 भादवि में 08 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा श्री मोहनलाल पुत्र मैकू मनी मनोहर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 10.09.2017 समय 02.00 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई (रोहित) को लाठी डण्डें से मार पीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देने व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मु0अ0सं0 1054/2017 धारा 304/34 भादवि थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री राम कुमार कटियार द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-155 दिनांक 26.10.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।